बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–95/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

सुश्री रिशिका, (कोटि क्रमांक–743/24), अंचल अधिकारी, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की 44 डि० जमीन को निजी व्यक्ति के पक्ष में दाखिल खारिज करने, राजस्य एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समीक्षा के क्रम में ऑनलाईन दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, अभियान बसेरा–2 तथा आधार सीडिंग में अंचल का प्रदर्शन असंतोषजनक एवं चिंताजनक पाये जाने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा राजस्व कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने संबंधी आरोप गठित है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–1647(15) दिनांक–03.09.2025 द्वारा सुश्री रिशिका को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री रिशिका के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिमी** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. सुश्री रिशिका से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिमी/सुश्री रिशिका, अंचल अधिकारी, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

D:\ashish 2026\sankalp\rishika kumari_CO(kanti).doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–95/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिमी/ सुश्री रिशिका, अंचल अधिकारी, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर** को आरोप पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–95/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र की छायाप्रति (साक्ष्य सहित)।

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–95/2025–730(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/06/2026

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/26

(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

D:\ashish 2026\sankalp\rishika kumari_CO(kanti).doc